F. No. NCBC/06/10/113/2019-CP/AT

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

सुनवाई के कार्यवृत

अनुसंधान अनुभाग

1. भारत के विधि विश्वविद्यालयों द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के नियमों का पालन न करने के संबंध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को शिकायतें प्राप्त हुई। जिन पर आयोग द्वारा सक्रियता दिखाते हुए कार्यवाही की गई एवं मामले कि गंभीरता को समझते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, भारत सरकार ने इस संबंध मे सम्पूर्ण आयोग के समक्ष सुनवाई करने का निर्णय लिया व दिनांक 20.01.2020 को सुनवाई की गई। सुनवाई मे सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एवं पाँच राज्यो (**मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमांचल प्रदेश, हैदराबाद एवं पंजाब**) के विधि विश्वविद्यालयो एवं राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। सुनवाई के पश्चात् राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने यह निर्णय लिया कि सत्र 2020-21 से सभी विधि विश्वविद्यालयों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि आरक्षण के सभी नियमो का पालन सख्ती से किया जाए एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी अपनी ओर से जागरूकता दिखाते हुए उन विश्वविद्यालयों पर कार्यवाही करें। जो आरक्षण के नियमो का पालन नहीं कर रहे हैं एवं **कुलपति, नालसार विश्वविद्यालय, हैदराबाद** अगली सुनवाई में आवश्यक रूप से उपस्थित हो।
2. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं इसका निरीक्षण करने हेतु पुनः माननीय अध्यक्ष, डॉ. भगवान लाल सहनी ने सम्पूर्ण आयोग के समक्ष सुनवाई करने का निर्णय लिया एवं दिनांक 22.12. 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा दो भागो में सुनवाई की तिथि सुनिश्चित की गई एवं प्रथम भाग की सुनवाई मे अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एवं आठ राज्यो (**मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमांचल प्रदेश, हैदराबाद, पंजाब, असम, हरियाणा एवं दिल्ली**) के विधि विश्वविद्यालयो एवं राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। द्वतीय भाग की सुनवाई को किसी कारणवश माननीय अध्यक्ष द्वारा स्थगित कर दिया गया एवं द्वतीय भाग की सुनवाई को पुनः दो भागो में (द्वतीय दिनांक 27.01.2021 एवं तृतीय दिनांक 29.01.2021) विभाजित कर सुनवाई करने का निर्णय लिया गया।
3. द्वतीय भाग दिनांक 27.01.2021 की सुनवाई मे अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एवं छः राज्यो (**महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, केरल, बिहार एवं गुजरात**) के विधि विश्वविद्यालयो एवं

राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। द्वतीय भाग की सुनवाई में उपस्थितअधिकारियों की सूची अनुलग्नक 'क' के रूप में संलग्न है।

4. तृतीय भाग दिनांक 29.01.2021 की सुनवाई मे अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एवं छः राज्यो (पश्चिम बंगाल, ओड़िशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडू एवं उत्तर प्रदेश) के विधि विश्वविद्यालयो एवं राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। तृतीय भाग की सुनवाई में उपस्थितअधिकारियों की सूची अनुलग्नक 'ख' के रूप में संलग्न है।

द्वतीय भाग की सुनवाई के दौरान हुई विस्तृत चर्चा का विवरण

5. **श्री रमेश बाबू विश्वनाथुला, सीनियर अधिवक्ता एवं शिकायतकर्ता** ने आयोग को अवगत कराया कि राष्ट्रीय विधि विश्वविधालयों में जो कि राज्य सरकार द्वारा स्थापित हैं उनमे अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 27 प्रतिशत का आरक्षण नहीं दिया जा रहा हैं। इन विधि विश्वविधालयों में भी दो प्रकार की सीट है एक स्टेट स्पेसिफिक एवं एक ऑल इंडिया कोटा की सीट, इन दोनों सीटों में से कुछ विधि विश्वविधालयों द्वारा स्टेट स्पेसिफिक सीटों में अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण दिया जा रहा हैं परन्तु किसी भी विधि विश्वविश्वविधालय द्वारा ऑल इंडिया कोटा की सीटों में अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु नहीं दिया जा रहा हैं। इस सम्बन्ध में दिनाँक 20.01.2020 को आयोग द्वारा सुनवाई की गई थी जिसमे सभी विधि विश्वविधालयों को यह निर्देश दिया गया था कि वर्ष सत्र 2020-21 से सभी विधि विश्वविद्यालयों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि आरक्षण के सभी नियमो का पालन सख्ती से किया जाये एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी अपनी ओर से जागरूकता दिखाते हुए उन विधि विश्वविद्यालयों पर कार्यवाही करें जो आरक्षण के नियमो का पालन नहीं कर रहे हैं। साथ ही सभी विधि विश्वविश्वविधालय कृत कार्यवाही से आयोग को अवगत करवाएंगे। परन्तु अभी तक किसी भी विधि विश्वविश्वविधालय ने माननीय आयोग के निर्देशों का पालन नहीं किया है। इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश के समस्त विश्वविद्यालयों को पत्र भी लिखा था अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि इस संबंध में विधि विश्वविद्यालयों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है।

6. **श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य** ने महाराष्ट्र विधि विश्वविद्यालय नागपुर मुंबई एवं औरंगाबाद की ओर से उपस्थित प्रतिनिधियों से यह प्रश्न पूछा कि क्या तीनो विश्वविद्यालय में भारत सरकार के नियमावली के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% का आरक्षण दिया जाता है?

तीनों विधि विश्वविद्यालयों द्वारा ऑल इंडिया कोटा में अन्य पिछड़ा वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है?

7. **डॉ. अनिल वरिअथ, कुलसचिव, महाराष्ट्र विधि विश्वविद्यालय, मुंबई** ने आयोग को अवगत कराया कि महाराष्ट्र सरकार की आरक्षण नीति के नियमानुसार महाराष्ट्र विधि विश्वविद्यालय, मुंबई में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 19% आरक्षण दिया जा रहा है।

8. **प्रो. विजेंद्र कुमार, कुलपति, महाराष्ट्र विधि विश्वविद्यालय, नागपुर** ने आयोग को अवगत कराया कि महाराष्ट्र सरकार की आरक्षण नीति के नियमानुसार महाराष्ट्र विधि विश्वविद्यालय, नागपुर में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 19% आरक्षण दिया जा रहा है। अन्य पिछड़ा वर्ग को ऑल इंडिया कोटा में आरक्षण नहीं दिया जाता है क्योंकि विधि विश्वविद्यालय के एक्ट एवं महाराष्ट्र सरकार की आरक्षण नीति में इसका का प्रावधान नहीं है।

9. **प्रो. के. वी. एस. शर्मा, कुलपति, महाराष्ट्र विधि विश्वविद्यालय, औरंगाबाद** ने आयोग को अवगत कराया कि महाराष्ट्र विधि विश्वविद्यालय, औरंगाबाद में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 19% आरक्षण दिया जा रहा है।

10. **श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य द्वारा** प्रिंसिपल सेक्रेटरी, महाराष्ट्र सरकार से प्रश्न पूछें जाने पर कि क्या महाराष्ट्र सरकार की आरक्षण नीति में ऑल इंडिया कोटा में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण ना दिए जाने का कोई प्रावधान है? **श्री ओ. पी. गुप्ता, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, महाराष्ट्र** सरकार ने आयोग को अवगत कराया कि मेरी जानकारी के अनुसार आरक्षण न दिए जाने से संबंधित कोई प्रावधान नहीं हैं।

11. **प्रो. (डॉ.) केसावा, राव, एन. यू. एस. आर. एल., रांची, झारखंड** ने आयोग को अवगत कराया कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज एंड रिसर्च इन लॉ, रांची के द्वारा राज्य एवं केंद्र सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार पूर्ण आरक्षण दिया जा रहा है। झारखंड विधि विश्वविद्यालय में कुल 120 सीटें हैं जिनमें से 60 सीटें राज्य कोटे की हैं एवं 60 सीटें ऑल इंडिया कोटे की है। राज्य की 60 सीटों में बैकवर्ड क्लास–I को 8% एवं बैकवर्ड क्लास-II को 6% आरक्षण दिया जा रहा है तथा ऑल इंडिया कोटे में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया जा रहा है। सारे आंकड़े आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर दिए गए हैं। उदाहरण के तौर पर वर्ष 2018 में ऑल इंडिया कोटा में कुल 21 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है जिनमें से 16 विद्यार्थियों को 27% ऑल इंडिया कोटे के आरक्षण के अनुसार प्रवेश दिया गया है एवं पांच विद्यार्थियों को मेरिट के अनुसार प्रवेश दिया गया है। इसी प्रकार सभी वर्षो का ब्यौरा आयोग को भेजा जा चुका है।

12. **प्रो. (डॉ.) के. सी. सनी, कुलपति, एन. यू. ए. एल. एस., केरल** ने आयोग को अवगत कराया कि एन. यू. ए. एल. एस., केरल में ऑल इंडिया कोटा में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है।

13. **प्रो. एस. पी. सिंह, डीन, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविश्वविधालय, पटना, बिहार** ने आयोग को अवगत कराया कि हमारे विधि विश्वविश्वविधालय में कुल 120 सीटें है। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविश्वविधालय, पटना बिहार राज्य आरक्षण एक्ट 2003 के अंतर्गत स्थापित हुआ है। हमारे विश्वविश्वविधालय में ऑल इंडिया कोटे का कोई आरक्षण एवं सीट नहीं है। अनुसूचित जाति के लिए 16 %, अनुसूचित जनजाति के लिए 1%, ई. बी. सी. के लिए 18%, बी. सी. के लिए 12% एवं डब्लू. ई. बी. सी. के लिए 03% आरक्षण दिया जा रहा है। हमारे यहां पर CLAT के आधार पर प्रवेश दिया जाता है एवं प्रवेश परीक्षा के समय ही आरक्षण के प्रतिशत से संबंधित जानकारी दी जाती है। जो यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा करवाती है वही आरक्षण निर्धारित कर देती है एवं हम उसी के अनुसार सीटों पर प्रवेश देते हैं। एवं उसके पश्चात जो सीटें खाली रह जाती हैं उन्हें आरक्षण के अनुसार ही भरा जाता है। पहले मेरिट के अनुसार प्रवेश दिया जाता है उसके पश्चात निर्धारित आरक्षण कोटे के अनुसार प्रवेश दिया जाता है।

14. **प्रो. शांता कुमार, कुलपति, गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविश्वविधालय, गुजरात** ने आयोग को अवगत कराया कि गुजरात विधि विश्वविद्यालय में CLAT परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिया जाता है एवं ऑल इंडिया कोटा नहीं है। केवल गुजरात राज्य के स्थायी निवासियों के लिए 25% के आरक्षण का प्रावधान है। अन्य विधि विश्वविद्यालयों की तरह गुजरात विधि विश्वविद्यालय में ऑल इंडिया कोटा तथा स्टेट कोटा जैसा कोई विभाजन नहीं है। अनुसूचित जाति को 15%, अनुसूचित जनजाति को 7.5%, महिला कोटे को 30% गुजरात राज्य के स्थायी निवासियों के लिए 25% एवं स्पेशली एबल्ड पर्सन के लिए 5% कोटा निर्धारित है।

15. **श्री राजीव, शिकायतकर्ता** ने आयोग को अवगत कराया कि गुजरात विधि विश्वविद्यालय में दोनों ही कोटा हैं एवं ऑल इंडिया कोटा एवं राज्य कोटा दोनों ही कोटा में गुजरात विधि विश्वविद्यालय द्वारा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण दिया जाता है केवल अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है।

16. **सेक्रेट्री लॉ, आंध्र प्रदेश सरकार** ने आयोग को अवगत कराया कि अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिये जाने के संबंध में डी. एस. एन. एल. यू. को प्रस्ताव भेजा जा चुका है, प्रस्ताव पारित होते ही अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा। कुल 120 सीटें है

जिनमें से 66% सीटें राज्य कोटे की है एवं 54% सीटें ऑल इंडिया कोटे की है। राज्य कोटे में 29% आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग को दिया जाता है।

17. **श्री राजीव, शिकायतकर्ता** ने आयोग को अवगत कराया कि इनके द्वारा ऑल इंडिया कोटा एवं राज्य कोटा दोनों में ही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण दिया है जिसके लिए कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था।

18. **श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य** द्वारा सेक्रेट्री लॉ, आंध्र प्रदेश सरकार यह पूछें जाने पर की क्या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण दिया जा रहा है? सेक्रेट्री लॉ, आंध्र प्रदेश सरकार ने आयोग को अवगत कराया कि ऑल इंडिया कोटा एवं राज्य कोटा दोनों में ही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण दिया जा रहा है जिसके लिए कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है।

तृतीय भाग की सुनवाई के दौरान हुई चर्चा का विस्तृत विवरण

19. **श्री निर्मल कांति चक्रबर्ती, पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय विधि विश्वविधालय, पश्चिम बंगाल** ने आयोग को अवगत कराया कि कुल 127 सीटें है जिनमे 89 सीटें ऑल इंडिया कोटा एवं 38 सीटें स्टेट कोटा की है। ऑल इंडिया कोटा में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण का प्रावधान नहीं है, अनुसूचित जाति के लिए 10 सीटें आरक्षित है, अनुसूचित जनजाति के लिए 06 सीटें आरक्षित है।

20. **प्रो. योगेश प्रताप सिंह, राष्ट्रीय विधि विश्वविधालय, ओड़िशा** ने आयोग को अवगत कराया कि राष्ट्रीय विधि विश्वविधालय, ओड़िशा में कुल 180 सीटें है एवं हमने सीटों को कोटा के अनुसार विभाजित नहीं किया है। उड़ीसा सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को ही आरक्षण प्रदान किया जाता है अन्य पिछड़ा वर्ग को कोई आरक्षण प्रदान नहीं किया जाता है। विश्वविद्यालय की स्थापना राज्य सरकार के नियमानुसार हुई है अतः हाल ही में हमने राज्य कोटे में 25% का आरक्षण देना प्रारंभ किया है।

21. **श्री राजीव कुमार, शिकायतकर्ता** ने आयोग को अवगत कराया कि एनआरआई कोटे को माननीय उड़ीसा हाई कोर्ट में अवैधानिक बताया है फिर भी एनआरआई कोटे को आरक्षण दिया जा रहा है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण वैधानिक होते हुए भी आरक्षण नहीं दिया जा रहा है।

22. **प्रो. योगेश प्रताप सिंह, राष्ट्रीय विधि विश्वविधालय, ओड़िशा** ने आयोग को अवगत कराया कि जिस एनआरआई कोटा की यहाँ पर बात की जा रही है वह माननीय उच्च न्यायालय का जजमेंट

एनआरआई स्पॉन्सर्ड कोटा के लिए था एवं इस बार हम अपनी विवरणिका में यह स्पष्ट भी कर देंगे।

23. **श्री सुधीर चंद्रशेखर, कर्नाटक राष्ट्रीय विधि विधालय, कर्नाटक** ने आयोग को अवगत कराया कि कुल 120 सीटें ऑल इंडिया कोटा की है जिसमे 92 सीटें अनारक्षित श्रेणी के लिए आरक्षित है, 19 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है एवं 06 सीटें पी. डब्लू. डी. के लिए आरक्षित है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण से सम्बंधित मामलें को जनरल काउंसिल की मीटिंग में रखा जा चुका है।

24. **श्री रजनीश जैन, सचिव, विश्वविधालय अनुदान आयोग** ने आयोग को अवगत कराया कि केंद्र सरकार द्वारा पोषित संस्थानों पर केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षण लागू होता है जिसके लिए हम समय समय पर विश्वविधालयों को पत्र भेजते रहते हैं एवं राज्य सरकार द्वारा पोषित संस्थानों पर राज्य सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षण लागू होता है। राज्य सरकार द्वारा पोषित संस्थानों को किस प्रकार संचालित किया जाना है वह राज्य सरकार ही निर्धारित करती है। जैसा की अभी कर्नाटक विधि विद्यालय, उड़ीसा विधि विश्वविद्यालय एवं पश्चिम बंगाल विधि विश्वविद्यालय के द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है उससे यह स्पष्ट होता है राज्य सरकार द्वारा विश्वविधालयों को स्पष्ट निर्देशन नहीं दिया गया है जिसकी वजह से यह समस्या उत्पन्न हो रही है। राज्य सरकारों को आरक्षण संबंधी नियमावली को और भी स्पष्ट करना चाहिए एवं इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा राज्य सरकारों को भी समय-समय पर पत्र लिखा जाता हैं, अभी हाल ही में 19 अक्टूबर को हमने सभी राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों , डीम्ड यूनिवर्सिटी इत्यादि को पत्र लिखा है।

25. तमिलनाडू विधि विश्वविधालय, छत्तीसगढ़ विधि विश्वविधालय, उत्तर प्रदेश विधि विश्वविधालय एवं संबंधित राज्यों के राज्य सरकार के प्रतिनिधि सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं थे

सुनवाई के पश्चात् आयोग की अपेक्षाएः

समस्त सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विधि विश्वविद्यालयों एवं राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से चर्चा करने के पश्चात् माननीय अध्यक्ष, डॉ. भगवान लाल सहनी एवं श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य ने निम्न लिखित जानकारियाँ शपथ पत्र पर आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा की एवं यह भी अपेक्षा की अतिशीघ्र ही अन्य पिछड़ा वर्ग को ऑल इंडिया कोटा में 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान

करने के लिए विधि विश्वविद्यालयों एवं राज्य सरकारों द्वारा उचित कार्यवाही की जाएगी व कृत कार्यवाही से आयोग को अवगत कराया जाएगा।

1. आयोग ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय मुंबई, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय नागपुर एवं राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय औरंगाबाद से यह अपेक्षा की है कि शाम (दिनांक 27.01.2021) 5:00 बजे तक आयोग के समक्ष शपथ पत्र पर यह जानकारी प्रस्तुत की जाए कि किन कारणों से तीनो विधि विश्वविद्यालय में ऑल इंडिया कोटा में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है।
2. प्रिंसिपल सेक्रेटरी, महाराष्ट्र सरकार से आयोग की अपेक्षा है कि आज शाम (दिनांक 27.01.2021) 5:00 बजे तक आयोग के समक्ष शपथ पत्र पर यह जानकारी प्रस्तुत की जाए कि ऑल इंडिया कोटा में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण होना चाहिए अथवा नहीं। यदि विधि विश्वविद्यालय द्वारा आरक्षण नहीं दिया जा रहा है तो उन पर क्या कार्यवाही की जानी चाहिए।
3. आयोग की कुलपति, झारखंड विधि विश्वविश्वविधालय से अपेक्षा है कि सभी विद्यार्थियों की वर्षवार प्रवेश सूची एवं उनका अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र 2 दिन के भीतर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।
4. आयोग की कुलपति, एन. यू. ए. एल. एस., केरल से अपेक्षा है कि आज शाम (दिनांक 27.01.2021) 5:00 बजे तक आयोग के समक्ष शपथ पत्र पर यह जानकारी प्रस्तुत की जाए कि किन कारणों से केरल विधि विश्वविद्यालय में ऑल इंडिया कोटा में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है।
5. आयोग की डीन, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविश्वविधालय, पटना, बिहार से अपेक्षा है कि वे पिछले 3 वर्षों की प्रवेश सूची 1 दिन के भीतर आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें।
6. आयोग की यह अपेक्षा है कि गुजरात सरकार की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि आज शाम 5:00 बजे तक आयोग के समक्ष शपथ पत्र पर यह जानकारी प्रस्तुत करें कि किन कारणों से गुजरात सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है।
7. आयोग की यह अपेक्षा है कि गुजरात विधि विश्वविधालय के कुलपति आज शाम 5:00 बजे तक आयोग के समक्ष शपथ पत्र पर यह जानकारी प्रस्तुत करें कि गुजरात विधि विश्वविधालय में किस किस वर्ग को आरक्षण दिया जा रहा है एवं किन कारणों से अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है।
8. आयोग की सेक्रेट्री लॉ, आंध्र प्रदेश सरकार से यह अपेक्षा है कि आज शाम (दिनांक 27.01.2021) 5:00 बजे तक आयोग के समक्ष शपथ पत्र पर यह जानकारी प्रस्तुत की जाए कि किन कारणों से

आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ऑल इंडिया कोटा में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है एवं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से संबंधित फाइल की सत्यापित भी आयोग के समक्ष निश्चित समयाविधि में प्रस्तुत करें।

9. आयोग ने पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय से यह अपेक्षा की है कि आज शाम (दिनांक 29.01.2021) 5:00 बजे तक आयोग के समक्ष शपथ पत्र पर यह जानकारी प्रस्तुत की जाए कि किन कारणों से पश्चिम बंगाल विधि विश्वविद्यालय में ऑल इंडिया कोटा में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को किस नियमावली के अंतर्गत आरक्षण दिया जा रहा है उससे संबंधित फाइल सत्यापित करके आयोग के समक्ष निश्चित समयाविधि में ईमेल एवं डाक के माध्यम से प्रस्तुत करें।
10. आयोग ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ओड़िशा से यह अपेक्षा की है कि आज शाम (दिनांक 29.01.2021) 5:00 बजे तक आयोग के समक्ष शपथ पत्र पर यह जानकारी प्रस्तुत करें कि किन कारणों से अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है।
11. आयोग ने कर्नाटक राष्ट्रीय विधि विद्यालय से यह अपेक्षा की है कि आयोग के समक्ष शपथ पत्र पर यह जानकारी प्रस्तुत की जाए कि किन कारणों से कर्नाटक राष्ट्रीय विधि विद्यालय में ऑल इंडिया कोटा में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पी. डब्लू. डी. को किस नियमावली के अंतर्गत आरक्षण दिया जा रहा है उससे संबंधित फाइल की सत्यापित भी आयोग के समक्ष निश्चित समयाविधि में ईमेल एवं डाक के माध्यम से प्रस्तुत करें।

दिनाँक:

स्थान: नई दिल्ली

(श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल)
माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

डॉ. भगवान लाल साहनी)
माननीय अध्यक्ष,राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

F. No. NCBC/06/10/113/2019-CP/AT

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

अनुसंधान अनुभाग

अनुलग्नक 'क'

द्वतीय भाग की सुनवाई में उपस्थित अधिकारी

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग :-

1. डॉ. भगवान लाल साहनी, माननीय अध्यक्ष
2. श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य
3. श्री दिनेश कुमार, माननीय अध्यक्ष के निजी सचिव
4. डॉ. राजुल रायकवार, अनुसंधान अधिकारी
5. श्री अभिमन्यु, अनुसंधान अधिकारी

उपस्थित अधिकारी:

1. श्री ओ. पी. गुप्ता, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, महाराष्ट्र सरकार
2. प्रिंसिपल सेक्रेट्री, केरल राज्य, केरल
3. श्री मनोज अग्रवाल, एडिशनल चीफ सेक्रेट्री, गुजरात सरकार
4. श्री डी. एम. व्यास, सेक्रेट्री लॉ, गुजरात सरकार
5. सेक्रेट्री लॉ, आंध्र प्रदेश सरकार
6. डॉ. अनिल वरिअथ, कुलसचिव, महाराष्ट्र विधि विश्वविद्यालय, मुंबई
7. प्रो. विजेंद्र कुमार, कुलपति, महाराष्ट्र विधि विश्वविद्यालय, नागपुर
8. प्रो. के. वी. एस. शर्मा, कुलपति, महाराष्ट्र विधि विश्वविद्यालय, औरंगाबाद
9. प्रो. (डॉ.) केसावा, राव, एन. यू. एस. आर. एल., रांची, झारखंड
10. प्रो. (डॉ.) के. सी. सनी, कुलपति, एन. यू. ए. एल. एस., केरल
11. प्रो. एस. पी. सिंह, डीन, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविश्वविधालय, पटना, बिहार
12. प्रो. शांता कुमार, कुलपति, गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविश्वविधालय, गुजरात

शिकायतकर्ता:

1. श्री रमेश बाबू विश्वनाथुला, सीनियर अधिवक्ता एवं शिकायतकर्ता
2. श्री राजीव कुमार

F. No. NCBC/06/10/113/2019-CP/AT

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

अनुसंधान अनुभाग

अनुलग्नक 'ख'

तृतीय भाग की सुनवाई में उपस्थित अधिकारी

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग :-

1. डॉ. भगवान लाल साहनी, माननीय अध्यक्ष
2. श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य
3. श्री दिनेश कुमार, माननीय अध्यक्ष के निजी सचिव
4. डॉ. राजुल रायकवार, अनुसंधान अधिकारी
5. श्री अभिमन्यु, अनुसंधान अधिकारी

उपस्थित अधिकारी:

1. श्री रजनीश जैन, सचिव, विश्वविधालय अनुदान आयोग
2. श्री सुरेश चंद्रा महापात्रा, मुख्य सचिव, ओड़िशा सरकार
3. लॉ सेक्रेट्री, कर्नाटक सरकार, कर्नाटक
4. श्री निर्मल कांति चक्रबर्ती, पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय विधि विश्वविधालय, पश्चिम बंगाल
5. प्रो. योगेश प्रताप सिंह, राष्ट्रीय विधि विश्वविधालय, ओड़िशा
6. श्री सुधीर चंद्रशेखर, कुलपति, कर्नाटक राष्ट्रीय विधि विधालय, कर्नाटक

शिकायतकर्ता:

1. श्री राजीव कुमार